SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभावः सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में

विनोद गर्ग, पी–एच.डी., शोध निर्देशक, वाणिज्य विभाग
होलीक्रास वीमेंस कॉलेज, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़, भारत
अनवर हुसैन, शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
विनोद गर्ग, पी–एच.डी., शोध निर्देशक
अनवर हुसैन, शोधार्थी
E-mail : gargdrvk@rediffmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 02/06/2025
Revised on : 03/08/2025
Accepted on : 12/08/2025
Overall Similarity : 00% on 04/08/2025

शोध सार

कृषि उत्पादन कार्य अनेक संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूँजी, एवं साहस के उचित प्रबंधन से होता है। उत्पादन के घटक यदि अपने–अपने योगदान का सही पारिश्रमिक प्राप्त नही कर सके तो वह योजना सफलतापूर्वक उड़ान भरने से पहले ही धराशायी हो जाती है। भूमि जोत का घटता आकार, बढ़ती इनपुट लागत, अस्थिर बाजार व्यवहार और मिट्टी के क्षरण, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, घटता भू–जल स्तर और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों के कारण आर्थिक व्यवहार्यता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों के आधार पर पहली बार 1966–67 में की गयी, जो सिर्फ गेंहू पर (54 रू. प्रति क्विंटल) था। राष्ट्रीय मूल्य नीति आयोग सरकार को कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में सलाह देता है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका उद्देश्य किसी वस्तु के अधिक उत्पादन की स्थिति में उसकी कीमत को एक सीमा से नीचे आने पर उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान की खरीदी मार्कफेड के द्वारा की जाती है, धान की खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ है। 2023–24 में प्रदेश के लगभग 24.72 लाख किसानों से 144.90 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वर्ष 2024–25 में सरगुजा जिले में पंजीकृत कृषकों की संख्या 62 हजार 243 एवं धान का रकबा 78,691 हेक्टेयर है। धान उपार्जन केन्द्रों की संख्या 54 है। 2024–25 में 36.47 लाख क्विंटल धान खरीदी की गयी है।

मुख्य शब्द

न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान, कृषक, मार्कफेड, किसान न्याय योजना/बोनस.

प्रस्तावना

कृषि उत्पादन कार्य अनेक संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूँजी, एवं साहस के उचित प्रबंधन से होता है। यदि किसी उत्पाद का उसकी बाजार में लाभप्रद मूल्य प्राप्त न हो तो उत्पाद का वह कार्यक्रम दीर्घकाल तक संचालित नही हो सकता। उत्पादन के घटक यदि अपने–अपने योगदान का सही पारिश्रमिक प्राप्त नही कर सके तो वह योजना सफलतापूर्वक उड़ान भरने से पहले ही धराशायी हो जाती है।

भू उपयोग सांख्यिकी 2021–22 के अनुसार, कृषि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है जिसकी लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई होती है। हालांकि, समय के साथ प्रति परिवार कृषि भूमि का आकार घट रहा है, देश में 86 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत के रुप में वर्गीकृत हैं। भूमि जोत का घटता आकार, बढ़ती इनपुट लागत, अस्थिर बाजार व्यवहार और मिट्टी के क्षरण, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, घटता भू–जल स्तर और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों के कारण आर्थिक व्यवहार्यता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों के आधार पर पहली बार 1966–67 में की गयी, जो सिर्फ गेंहू पर (54 रू. प्रति क्विंटल) था।

राष्ट्रीय मूल्य नीति आयोग सरकार को कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में सलाह देता है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका उद्देश्य किसी वस्तु के अधिक उत्पादन की स्थिति में उसकी कीमत को एक सीमा से नीचे आने पर उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान की खरीदी मार्कफेड के द्वारा की जाती है, धान की खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ है। 2023–24 में प्रदेश के लगभग 24.72 लाख किसानों से 144.90 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई, धान खरीदी का यह महाभियान 1 नवंबर 2023 से 04 फरवरी 2024 तक चला।

वर्ष 2024–25 में सरगुजा जिले में पंजीकृत कृषकों की संख्या 62 हजार 243 एवं धान का रकबा 78,691 हेक्टेयर है। धान उपार्जन केन्द्रों की संख्या 54 है। 2024–25 धान उपार्जन समय सीमा के दौरान जिले के लिए धान उर्पाजन का लक्ष्य 35.10 लाख क्विंटल रखा गया था जबकि लक्ष्य से अधिक 36.47 लाख क्विंटल धान खरीदी की गयी है। इसके प्रतिफल में कृषकों को 838.79 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

शोध कार्य के उद्देश्य

1. धान उपार्जन प्रक्रिया एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करना।
2. धान उपार्जन प्रक्रिया का अध्ययन करना।
3. धान उपार्जन व न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हुए परिवारों के बारे में जानकारी एकत्रित करना।

शोध कार्य की परिकल्पनाएं

1. सरगुजा जिले में निवासरत पंजीकृत कृषकों में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संबंध में पर्याप्त जागरुकता है।
2. समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किये जाने के कारण कृषकों की आय में वृद्धि हुई है और इसका कृषकों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
3. छ. ग. राज्य में धान उपार्जन प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कई व्यवहारिक त्रुटियां हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखण्ड को आधार बनाया गया है।

- लुण्ड्रा विकासखण्ड में 7 धान उपार्जन केन्द्र हैं।
- न्यादर्श विधि के आधार पर इन सभी के 7 धान उपार्जन केन्द्रों के 21 ग्राम पंचायतों के कुल 105 पंजीकृत कृषकों (प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5–5 कृषक) से प्रत्यक्ष संपर्क कर प्राथमिक आंकड़ो का संकलन किया गया है।
- सर्वेक्षित 105 उत्तरदाताओं में सामान्य वर्ग के 03 (2.86 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति वर्ग के 69 (65.71 प्रतिशत) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 33 (31.43 प्रतिशत) उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

सारणी क्रमांक 1: उत्तरदाताओं में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति जागरुकता का विवरण

क्र.	विवरण	हां	नही	पता नही	योग
1.	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करते हैं।	105	0	0	105
2.	केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी है।	104	1	0	105
3.	राज्य सरकार द्वारा घोषित किसान न्याय योजना / बोनस राशि की जानकारी की जानकारी है।	103	2	0	105

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी में उत्तरदाताओं में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति जागरुकता की स्थिति को स्पष्ट किया गया है, जो 3 प्रश्नों में विभक्त है जिनका विश्लेषण निम्नानुसार हैः

- सभी (कुल 105 उत्तरदाता) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया है।
- 104 (99.05 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी है, जबकि मात्र 0.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसकी जानकारी नही है।
- 103 (98.09 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार द्वारा घोषित किसान न्याय योजना/बोनस राशि की जानकारी होने एवं 1.90 प्रतिशत ने इस योजना की जानकारी नही होने का अभिमत दिया है।

सारणी क्रमांक 2: उत्तरदाताओं में धान उपार्जन प्रक्रिया की प्रशासनिक कार्यवाही के प्रति जागरुकता का विवरण

क्र.	विवरण	हां	नही	पता नही	योग
1.	धान उत्पादन के पूर्व गिरदावरी के दौरान आपसे धान के रकबे की जानकारी ली जाती है।	76	21	8	105
2.	गिरदावरी के दौरान आपसे धान बेचने की अनुमानित मात्रा की जानकारी ली जाती है।	62	31	12	105
3.	धान विक्रय हेतु प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि पर्याप्त होती है।	101	2	2	105

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी धान उपार्जन प्रक्रिया में प्रशासनिक कार्यवाही के प्रति उत्तरदाता की जागरुकता को 3 प्रश्नों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिसका विश्लेषण निम्नानुसार हैः

- धान उत्पादन के पूर्व गिरदावरी के दौरान उत्तरदाता से धान के रकबे की जानकारी लिया जाना – इस संबंध में कुल 105 उत्तरदाताओं में से 76 ने जानकारी लिये जाने का, 21 ने जानकारी नही लिये जाने का एवं 8 उत्तरदाताओं ने कोई अभिमत नही दिया।
- गिरदावरी के दौरान उत्तरदाताओं से धान बेचने की अनुमानित मात्रा की जानकारी लिया जाना – इस संबंध में कुल 105 उत्तरदाताओं में 62 ने यह जानकारी लिये जाने का, 31 ने जानकारी नही लिये जाने का एवं 12 उत्तरदाताओं ने कोई अभिमत नही दिया।
- धान विक्रय हेतु प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि पर्याप्त होना – इस संबंध में कुल 105 उत्तरदाताओं में

101 ने निर्धारित समयावधि पर्याप्त होने का, 02 ने पर्याप्त नही होने का एवं 2 उत्तरदाताओं ने कोई अभिमत नही दिया।

सारणी क्रमांक 3: उत्तरदाता द्वारा उपार्जन केन्द्र पर व्यवस्था संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	हां	नही	पता नही	योग
1.	बारदानों की व्यवस्था है।	103	2	0	105
2.	धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु कैप कव्हर, डनेज सामग्री, सीमेंट ब्लॉक, कवर, चटाई, रंग, सुतली एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था है।	98	7	0	105
3.	पीने के पानी व्यवस्था रहती है।	105	0	0	105
4.	बायोमेट्रिक डिवाइस है।	103	0	2	105
5.	केलिब्रेशन कराया हुआ आर्द्रता मापी यंत्र रहता है।	95	0	10	105
6.	पर्याप्त मात्रा में चबुतरों की व्यवस्था रहती है।	104	1	0	105
7.	धान उपार्जन केन्द्र की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं।	104	0	1	105

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी में उपार्जन केन्द्र पर व्यवस्था संबंधी जागरुकता की जानकारी के प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट होता है कि:

- 103 उत्तरदाताओं ने उपार्जन केन्द्र पर बारदानों की व्यवस्था रहने एवं 2 उत्तरदाताओं ने व्यवस्था नही रहने के पक्ष में अभिमत दिया है।
- 98 उत्तरदाताओं में धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु कैप कव्हर, डनेज सामग्री, सीमेंट ब्लॉक, कवर, चटाई, रंग, सुतली एवं अन्य सामग्री व्यवस्था होने तथा 7 ने नही होने का अभिमत दिया है।
- सभी 105 उत्तरदाताओं ने उपार्जन केन्द्र पर पीने के पानी की व्यवस्था होने के पक्ष में अपना अभिमत दिया है।
- बायोमेट्रिक डिवाइस व्यवस्था के संबंध में 103 उत्तरदाताओं ने व्यवस्था होने का अभिमत दिया है जबकि 2 उत्तरदाताओं ने कोई अभिमत नही दिया है।
- 95 उत्तरदाताओं ने केलिब्रेशनयुक्त आर्द्रता मापी यंत्र उपलब्ध होने का अभितम दिया है, जबकि 10 उत्तरदाताओं ने इस संबंध में कोई अभिमत नही दिया है।
- पर्याप्त चबुतरों की व्यवस्था के संबंध में 104 उत्तरदाताओं ने व्यवस्था होने, 1 उत्तरदाता ने व्यवस्था नही होने के पक्ष में अपना अभिमत दिया है।
- एकमात्र उत्तरदाता को छोड़कर सभी उत्तरदाता धान उपार्जन केन्द्र की कार्यप्रणाली से संतुष्ट रहे हैं।

सारणी क्रमांक 4: उत्तरदाता द्वारा भुगतान संबंधी जागरुकता का विवरण

क्र.	विवरण	हां	नही	पता नही	योग
1.	भुगतान के लिए कोई विशेष सीमा निर्धारित की गई थी।	102	0	3	105
2.	निर्धारित समयावधि में पूरी राशि का भुगतान किया गया।	104	0	1	105
3.	न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस की राशि का भुगतान एक साथ होना चाहिए।	101	4	0	105
4.	धान विक्रय के पश्चात् भुगतान में किसी प्रकार की समस्या आती है।	5	97	3	105
5.	भुगतान संबंधी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं।	103	2	0	105

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी में उत्तरदाता द्वारा भुगतान संबंधी जानकारी के अंतर्गत भुगतान संबंधी जागरुकता का विवरण

एकत्रित करने का प्रयास किया गया है जिसे निम्न प्रश्नों में विभक्त किया गया है जिनका विश्लेषण अग्रलिखित हैः

- भुगतान के लिए कोई विशेष समय–सीमा के संबंध में कुल 105 उत्तरदाता में 97.14 प्रतिशत ने सीमा निर्धारित किये जाने एवं 2.86 प्रतिशत उत्तरदाता ने जानकारी ही नही में अपना मत दिया।
- निर्धारित समयावधि में पूरी राशि का भुगतान के संबंध में कुल उत्तरदाता में 99.04 प्रतिशत ने भुगतान होने एवं 0.95 प्रतिशत ने जानकारी ही नही में अपना मत दिया है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस की राशि का भुगतान एक साथ होने के संबंध में कुल 105 उत्तरदाता में 96.19 प्रतिशत ने एक दोनों राशि का भुगतान एक साथ होने में और 3.81 प्रतिशत ने दोनों राशि का भुगतान एक साथ नही होने का अपना मत दिया है।
- धान विक्रय के पश्चात् भुगतान में किसी प्रकार की समस्या आने के संबंध में कुल उत्तरदाता में 4.76 प्रतिशत ने समस्या आने, 92.38 प्रतिशत ने समस्या नही आने एवं 2.86 प्रतिशत ने इस संबंध में जानकारी ही नही होने में अपना मत दिया है।
- भुगतान संबंधी प्रक्रिया से संतुष्ट होने में कुल 105 उत्तरदाता में 98.1 प्रतिशत ने संतुष्ट होने, 1.9 प्रतिशत ने संतुष्ट नही होने में अपना मत दिया है।

सारणी क्रमांक 5ः न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का उत्तरदाता कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

क्र.	विवरण	हां	नही	पता नही	योग
1	क्या आपकी आय में वृद्धि हुई है	103	2	0	105
2	क्या आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है	101	4	0	105
3	क्या आप परिवार के लिये अधिक सुविधाएं प्राप्त कर पा रहे हैं	096	7	2	105
4	क्या आपकी बचत में वृद्धि हुई है	068	37	0	105
5	क्या आपका और परिवार का जीवन स्तर सुधरा है	101	4	0	105

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव को 5 प्रश्नों के आधार पर प्रदर्शित किया गया है, जिसका विश्लेषण निम्नानुसार हैः

- **आय में वृद्धिः** कुल 105 उत्तरदाताओं में से 103 (98.09 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनकी आय में वृद्धि हुई है, केवल 2 (1.9 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनकी आय में कोई वृद्धि नही हुई है।
- **परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधारः** 101 (96.19 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जबकि 4 (3.8 प्रतिशत) ने उत्तरदाताओं के अनुसार उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नही हुआ है।
- **परिवार के लिये अधिक सुविधाएं प्राप्त कर पानाः** 96 (91.43 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे परिवार के लिये अधिक सुविधाएँ प्राप्त कर पा रहें है, 7 (6.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे परिवार के लिये अधिक सुविधाएँ प्राप्त नही कर पा रहें है, जबकि 2 (1.9 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने इस संबंध में कोई अभिमत नही दिया।
- **बचत में वृद्धिः** 68 (64.76 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनकी बचत में वृद्धि हुई है, जबकि 37 (35. 23 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनकी बचत में कोई वृद्धि नही हुई है।
- **स्वयं और परिवार के जीवन स्तर में सुधारः** 101 (96.19 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनके स्वयं के एवं उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जबकि 4 (3.81 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार जीवन स्तर में कोई सुधार नही हुआ है।

प्रमुख सुझाव

1. धान के रकबे का निर्धारण का कार्य पूर्ण गंभीरतापूर्वक किया जाना चाहिए ताकि किसानों को उनकी भू–धारिता का पूरा लाभ मिल सके।
2. धान उपार्जन केन्द्रों पर धान का नाप तौल सही होना चाहिए।
3. धान उपार्जन केन्द्रों पर ऐसी सुविधाएँ एवं व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसानों को धान उर्पाजन करने में ज्यादा समय न लगे और उन्हे परेशानियों का सामना न करना पड़े।
4. बारदानों की सुलभ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि धान उपार्जन प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे।
5. धान उपार्जन केन्द्रों से उपार्जित धान का जल्द से जल्द उठाव होना सुनिश्चित होना चाहिए ताकि धान रखने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध रह सके और मौसम के प्रभाव से संग्रहित धान की सुरक्षा हो सके।
6. किसानों को समय पर भुगतान होना चाहिए।
7. दूसरे सीमावर्ती राज्यों से धान के आवक एवं विक्रय पर रोक हेतु कठोर कदम उठाया जाना चाहिए।
8. उपार्जन केन्दों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कृषकों को धान बिक्री हेतु अधिक दूरी तय न करना पड़े और वे अनावश्यक परिवहन खर्च से बच सकें।

वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है, भले ही सरकार को इससे हानि ही क्यों न उठानी पड़े। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की गारण्टी को सामाजिक न्याय के रूप में भी देखा जाता है, इसके माध्यम से निर्धन किसानों की सहायता की जा सकती है और इससे संबंधित कृषि फसलों की कीमत में स्थायित्व आता है।

संदर्भ सूची

1. भारत में कृषि परिदृश्यः एक अवलोकन, अध्याय–1, वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24, नाफेड, पृ. 6।
2. चतुर्वेदी, सौरभ (2021) *भारतीय अर्थव्यवस्था,* युवाचार पब्लिकेशन, दिल्ली आई.ए.एस. अकादमी, पृ. 54।
3. पटेल, हरिराम (2023–2024) *आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2023–24,* एच. आर. पब्लिकेशन, बिलासपुर, पृ. 12।
4. प्राइज पॉलिसी, खरीफ क्राप्स, द मार्केटिंग सीजन 2024–25, कमीशन कृषि लागत और मूल्य आयोग, मार्च 2024, पृ. XXII.
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, 2021–22, जिला – सरगुजा (छ. ग.). पृ. 2।
6. https://cgpaddyonline.co.in/markfedhq24/CITIZENREPORT/PaddyDetalis.aspx, Accessed on 12/05/2025, 7:35 PM
7. https://descg.gov.in, Accessed on 13/05/2025, 8:12 PM.

****